चलो चलाएँ

शिक्षा गुणवत्ता अभियान

और बढ़ाएँ

हम अपना सम्मान

MANAGER
MJ SCHOOL
New Arya Nagar
Kohka, Bhilai (C.G.)

PRINCIPAL
MJ SCHOOL
New Arya Nagar
Kohka, Bhilai (C.G.)

नोडल:- कोहका

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

जिला-दुर्ग (छ.ग.)

M.J. School, New Arya Nagar, Jewan - Sinha road, Kohka, Bhilai Dist - Durg

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

दिनांक - 01/04/2021 से 31/03/2024

फोन नं. 0788-2322345 प्रारूप - दो फैक्स नं. 0788-2211242

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / 1076 /मान्यता/2021 दुर्ग, दिनांक 31/03/2021

प्रति,

प्रबं.क. MA JAGDAMBA EDUCATIONAL SOCIETY BHILAI

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 03/12/2020 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत मैं M.J. SCHOOL, NEW ARYA NAGAR, JEWRA-SIRSA ROAD KOHKA BHILAI (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख 01/04/2021 से 31/03/2024 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा Nursery से 05th तक माध्यम ENGLISH के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

1. मान्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबद्धता करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% प्रतिशत तक ग्राम-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्रार्थमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के सामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी केपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

एक प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

दो किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

तीन प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

चार प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जायेगा।

पांच अधिनियम के उपबंधो 'च' के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

छः अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

सात अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और

आठ अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	: 05 Acres
कुल निर्मित का क्षेत्रफल	: 15000 Sq. Feet
खेल के मैदान का क्षेत्रफल	: 98.9 × 171.5 Sq. Feet
कक्षाओं की संख्या	: 11 Rooms, 02 Halls
प्रधानपाठक सह-कार्यालय सह-भण्डार के लिए कक्ष	: 03
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	: 05 + 05
पेयजल सुविधा	: Aquaguard
मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई	:
बाधारहित पहुंच	: YES
अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद के उपस्कारों / पुस्तकालय की उपलब्धता :	

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय की सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 102/205/24 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।
17. परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

MANAGER
MJ SCHOOL
New Arya Nagar
Kohka, Bhilai (C.G.)

PRINCIPAL
MJ SCHOOL
New Arya Nagar
Kohka, Bhilai (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग

// कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग //

जी.ई. रोड, जिला पंचायत दुर्ग के सामने, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 491001
ई-मेल deomdmdurg@gmail.com
दूरभाष 0788-2323342

क्रमांक / 13127 / मान्यता / कक्षोन्नयन / 2021 दुर्ग, दिनांक 23 NOV 2021

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव,
माँ जगदम्बा एजुकेशनल सोसायटी, दुर्ग
ब्लाक नं. 20 बी / 5, नेहरु नगर, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- कक्षा उन्नयन की अनुमति बावत्।
संदर्भ :- सहायक नोडल अधिकारी / प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्राप्ति दिनांक 23.11.2021

-----00-----

संदर्भित नोडल प्राचार्य द्वारा आपके विद्यालय एम.जे.स्कूल, न्यू आर्य नगर, कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग में कक्षा 6वी से 8वी (अंग्रेजी माध्यम) तक नवीन कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हैं।

संबंधित सहायक नोडल अधिकारी / प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में विद्यालय कक्षा उन्नयन हेतु अनुशंसित होने के कारण एतद् द्वारा निम्नांकित शर्तों के तहत आपके विद्यालय एम.जे.स्कूल, न्यू आर्य नगर, कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग को अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 6वी से 8वी तक नवीन कक्षाएँ संचालन की अस्थाई अनुमति प्रदान की जाती है :-

शर्तेः-

1. शासन द्वारा निर्धारित मान-मानकों को पूर्ण करना होगा।
2. आर.टी.ई. के मान एवं मानक के अनुसार अध्यापन कक्ष, प्राचार्य / प्रधानपाठक कक्ष, लाइब्रेरी कक्ष, छात्र / छात्राओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय एवं मुत्रालयों की व्यवस्था, पठन पाठन सामग्री, खेलकुद सामग्री, खेल का मैदान इत्यादि अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।
3. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति कक्षा एवं वर्ग के मान एवं मानक के आधार पर की जावें।
4. मान एवं मानक के अनुसार छात्र संख्या उपलब्ध हों तथा छात्र संख्या के मान से शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
5. शासन के सभी आदेश-निर्देशों का पालन अनिवार्यतः किया जाएँ।

Bhaman
जिला शिक्षा अधिकारी,
दुर्ग

पृ.क्र. / 13128 / मान्यता / कक्षोन्नयन / 2021 दुर्ग, दिनांक 23 NOV 2021

प्रतिलिपिः-

1. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ।
2. सहायक नोडल अधिकारी / प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग को सूचनार्थ।
3. संस्था प्रमुख, एम.जे.स्कूल, न्यू आर्य नगर, कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. प्रभारी, यू-डाइस / शिक्षा का अधिकार, स्थानीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

MANAGER
MJ SCHOOL
New Arya Nagar
Kohka, Bhilai (C.G.)

Rashma
PRINCIPAL
MJ SCHOOL
New Arya Nagar
Kohka, Bhilai (C.G.)

Bhaman
जिला शिक्षा अधिकारी,
दुर्ग